पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 0809095 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 13 दिसम्बर, 2008

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

Key word 1-47-Verification Forms/ Penalty

कृपया मुख्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 0708030 दिनांक 25-5-07 पत्र संख्या 402 दिनांक 25-5-2007 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा जांच चौकियों/ रेलवे जांच चौकियों / रेलवे सचल दल / सचल दल इकाईयों द्वारा पंजीकृत / अपंजीकृत व्यापारियों से जमानत / समाधान शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निम्न कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे :-

2- (क) पंजीकृत व्यापारियों के मामले में जमानत जमा होने पर सहायता केन्द्रों / सचल दल इकाईयों /रेलवे जांच चौकी / रेलवे सचल दल इकाईयों के अधिकारियों द्वारा जमानत जमा कराये जाने के एक सप्ताह के अन्दर जमा प्रमाण पत्र एवं प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों को कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये ।

(ख) पंजीकृत व्यापारियों के जिन मामलों में जमानत की धनराशि माल केअभिग्रहण के बाद जमा नहीं की जाती है उन मामलों की रिपोर्ट एवं सम्बन्धित प्रपत्रों को करनिर्धारण अधिकारियों को 15 दिन के अन्दर प्रेषित कर दिया जाये ।

(ग) पंजीकृत व्यापारियों के मामले में सहायता केन्द्रों / सचल दल इकाईयों / रेलवे जांच चौकियों / रेलवे सचल दल इकाईयों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट / सूचना पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी अभिग्रहण की तिथि से 90दिन के अन्दर अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

(घ) अपंजीकृत व्यापारियों के मामले में सम्बन्धित जांच चौकियों / सचल दल इकाईयों / रेलवे जांच चौकियों / रेलवे सचल दल इकाई के अधिकारियों द्वारा माल के अभिग्रहण की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाये ।

3- मुख्यालय पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि माल अभिग्रहण के मामलों में विलम्ब से कार्यवाही किये जाने पर व्यापारी करापंवंचित माल को अपनी लेखा पुस्तकों में मैनिपुलेट करने में सफल हो जाते हैं अत: कार्यवाही अविलम्ब किया जाना आवश्यक है । अत: इस सम्बन्ध में संशोधित रूप में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

(अ) सभी प्रकार के प्रकरणों में माल अभिग्रहण करने वाले एवं जमानत जमा कराने वाले प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जमानत जमा कराने के एक सप्ताह के अन्दर जमा प्रमाण पत्र एवं प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को प्रत्येक दशा में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(ब) पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में अभिग्रहण / जमानत सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रत्येक दशा में अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में 60 दिन के अन्दर निर्णय ले लिया जाये तथा जिन मामलों में करापवंचन स्पष्ट हो, ऐसे मामलों में 60 दिन के अन्दर अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही भी सुनिश्चित कर ली जाये ।

(स) अपंजीकृत व्यापारियों के मामले में सम्बन्धित जांच चौकियों / सचल दल इकाईयों / रेलवे जांच चौकियों / रेलवे सचल दल इकाई के अधिकारियों द्वारा माल के अभिग्रहण की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाये।

4- सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) यह सुनिश्चित करायेंगे कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जमानत जमा कराये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को जमा प्रमाण पत्र एवं प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जा रहा है एवं सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी अर्थदण्ड / अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही प्रपत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं। यदि अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) का यह दायित्व होगा कि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

9/1/09

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

__पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।__

__प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :__

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
5. समस्त अनुभाग / अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियां अतिरिक्त।

ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।